[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

बित मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अपत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 31/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (वौला संशोधन) नियम, 2019 है ।
   (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रदूषित होगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

   “10.क बैंक खाते के व्यौरं का दिया जाना - सामान्य पोर्टल पर प्रथम जीएसटी आरईजी-06 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जाने और माल और सेवा कर पहचान संख्या समनुदारित किए जाने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से लिखा जिसे, यथास्थिति, नियम 12 या नियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर, यथाशक्य, शीघ्र कितु रजिस्ट्रीकरण दिए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के अपशाचाट् या उस तारीख को, जिसको धारा 39 के अधीन विवरण का दिया जाना अपेक्षित है, इसमें से जो भी पूर्वतर हों, बैंक खाते के व्यौरं के सबंध में जानकारी या कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा।”।

3. उक्त नियमों के नियम 21 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

   “(घ) नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन करता है।”।
4. उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“32क. उन दशाओं में प्रदाय का मूल्य जहां केल खाद्य उपकर लागू होता है -ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य को, जिन पर केल वित विवेचन, 2019 के खंड 14 के अधीन केल खाद्य उपकर का उद्देश्य किया गया है, अधिनियम की धारा 15 के निर्देशनों में अवधारित किया गया मूल्य समझा जाएगा किंतु उसे उक्त उपकर को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।”

5. उक्त नियमों के नियम 46 में पांचवे पर्वके पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जावे वाली तारीख से निम्नलिखित पर्वके अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“पर्वके यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्देशनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा।”

6. उक्त नियमों के नियम 49 में तीसरे पर्वके पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जावे वाली तारीख से निम्नलिखित पर्वके अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“पर्वके यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्देशनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा।”

7. उक्त नियमों के नियम 66 के उपनियम (2) में-

(क) “प्रयोग जीएसटीआर-2के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को और सामान्य पोतेल पर प्रयोग जीएसटीआर-4क” में शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कटोरी की गई है, सामान्य पोटेल पर” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “की सम्मिलक तारीख” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) “सामान्य पोटेल पर” शब्दों के पश्चात् “विविधमान्यकरण के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से कटोरी की गई कर का रकम का दावा करने के लिए” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 67 के उपनियम (2) में-
(क) “प्रश्न जीएसटीआर-2क के भाग ग” में शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा;
(ख) “की देय तारीख” शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ग) “सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में” शब्दों के पश्चात् “विलिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में संगृहीत कर की रकम का दावा करने के लिए” शब्द अंतर्गतित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों के नियम 87 में,-
(क) उपनियम (2) के दूसरे परिचय का लोप किया जाएगा।
(ख) उपनियम (9) में,-
   (i) “प्रश्न जीएसटीआर-02” शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा;
   (ii) “नियम 87 के उपबंधों के अनुसार” शब्दों का लोप किया जाएगा।
(ग) उपनियम (12) के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित उपनियम अंतर्गतित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(13) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, साधारण पोर्टल पर प्रश्न जीएसटी पीएमटी-09 में एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, शाक्स्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को अंतर्गतित कर सकेगा।”।

10. उक्त नियमों के नियम 91 के उपनियम (3) में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, “संदाय सूचना” शब्दों के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 92 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख,-
(क) उपनियम (4) में, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, “संदाय सूचना” शब्दों के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) उपनियम (4) में, “जो वह प्रश्न जीएसटी आरएफडी-06 इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “वहाँ वह प्रश्न जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्रतिदिन दो सत्रों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे समेकित संदाय सूचना के आधार पर आवेदक की रजिस्ट्रीकृत विविधतियों में वर्णित और प्रतिदिन जारी रखे।” शब्द रखें जाएंगे;
(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतर्गतित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(4क) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (4) के अधीन जारी समेककि संदाय सलाह के आधार पर प्रतिदिन का संवितरण करेगी।”;

(घ) उपनियम (5) में, “सूचना” शब्द के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे।

12. उक्त नियमों के नियम 94 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, “संदाय सूचना” शब्दों के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे।

13. उक्त नियमों के नियम 95 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“95क. किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पतन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को कर मुक्त आपूर्ति करने वाले खुदरा आउटलेट को करों का प्रतिदिन-

(1) किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पतन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को, जो भारत से जा रहा है, देशी माल की आपूर्ति करने वाली खुदरा आउटलेट ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर इसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदिन की दावा करने का पात्र होगा।

(2) आवक आपूर्तियों पर संदत्त कर के प्रतिदिन का दावा करने वाला खुदरा आउटलेट, यथास्थिति, मालिक या तिमाही आधार पर, साधारण पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित प्रसुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रसूत जीएसटी आरएफडी-10ख में प्रतिदिन के दावे के लिए आवेदन करेगा।

(3) यथास्थिति, मास या तिमाही के दौरान की गई आपूर्ति के लिए जारी बीजकों की स्वप्रमाणित संकल्पना जानकारी, संबंधित रूप बीजक के साथ प्रतिदिन आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(4) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा संदत्त कर का प्रतिदिन तब उपलब्ध होगा, यदि-

(क) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कर बीजक के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से माल के आवक आपूर्ति प्राप्त की गई थी।

(ख) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कोई कर प्रभार्य किए विदेशी विनिमय में किसी बाहर जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को उक्त माल की आपूर्ति की गई थी।

(ग) आवक आपूर्ति के लिए कर बीजक पर खुदरा आउटलेट का नाम और माल और आवेदन कर पहचान संख्या का उल्लेख है। और
(घ) ऐसे अन्य निरबंधन और शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, का समाधान कर दिया गया हो।

(5) इस नियम के अधीन स्वीकृति और संदाय के लिए नियम 92 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “बाहर जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पर्यटक” पद से ऐसा व्यक्ति अभिलेख नहीं है जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है और जो भारत में वैध अप्रवासी प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रहने के लिए भारत में प्रवेश करता है।

14. उक्त नियमों के नियम 128 में -

(क) उपनियम (1) में “लिखित आवेदन की प्राप्ति पर” शब्दों के पश्चात् “या ऐसी विस्तारित अवधि जो लिखित में अभिलेखबंध किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के अधिक की हो, जो प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे。

(ख) उपनियम (2) में -

i. “स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से सभी आवेदन” शब्दों के पश्चात् “या ऐसे आवेदन जो स्थानीय समिति द्वारा अनुज्ञात किए जाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ii. “राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा” शब्दों के पश्चात् “लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के बीतर या प्राधिकारी द्वारा यथा अनुज्ञात लिखित में लेखबंध कारणों से एक मास से अनधिक अवधि के बीतर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

15. उक्त नियम के नियम 129 के उपनियम 6 में “तीन महीने की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करेगा” वाक्यांश में प्रयुक्त “तीन” शब्द के स्थान पर “छह” शब्द रखा जाएगा।

16. उक्त नियम के नियम 132 के उपनियम (1) में “मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक” शब्द से पहले “प्राधिकारी” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

17. उक्त नियम के नियम 133 में -

(क) उपनियम (1) में “तीन” शब्द के स्थान पर “छह” शब्द रखा जाएगा;
(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
(2क) प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन अवधारण प्रक्रिया के दौरान नियम 129 के उपनियम (6) के अधीन मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक से प्रस्तुत रिपोर्ट पर यदि कोई हो, स्पष्टीकरण मांग सकेगा।
(ग) उपनियम (3) के खंड (ग) में “उपरिंद के अधीन मलेशित धनराशि के पचास प्रतिशत” शब्दों के पश्चात् “उच्चतर धनराशि के संबंध हें की तारीख से ऐसी धनराशि के जमा करने की तारीख तक अट्ठार्ष प्रतिशत की दर पर व्याज के साथ” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(घ) उपनियम (3) के स्पष्टीकरण में “संबंधित राज्य” पद से राज्य अभिप्रेत है” शब्दों के पश्चात्” या संघ राज्यक्षेत्र” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ड.) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5) क) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट मुनाफाकोरी निरोधी महानिदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 171 के उपर्योग का, माल या सेवा या दोनों के संबंध में उन के सिवाय, जो उक्त रिपोर्ट में आच्छादित किए गए हैं, उल्लंघन किया गया है, प्राधिकारी उन कारणों दो अखंड या अन्य बात के संबंध में उपर्योग का अन्वेषण या जांच करने के लिए उक्त नियम 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मुनाफाकोरी निरोधी महानिदेशक को निदेश दे सकेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन अन्वेषण या जांच नई अन्वेषण या जांच समझी जाएगी और नियम 129 के सभी उपर्योग ऐसे अन्वेषण या जांच पर यथावत्त का विचार दिया जाएगा।

18. उक्त नियम के नियम 138 के उपनियम (10) के, --

(क) संग्रह में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 4 के सामने “आकार से बड़ा-स्थोययरा शब्दों के पश्चात्” “या वल्टोमॉडल वहन जिसमे क्रम से क्रम एक बार पोत द्वारा परिवर्तन सम्मिलित हो” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
(ख) द्वितीय पंटुक के पश्चात् निम्नलिखित पंटुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-
पंटुक यह और भी किंद्रीय बिल की वैधता इसके अवसान के समय से आठ घंटे के भीतर विस्तारित की जा सकेगी।”

19. उक्त नियम के नियम 138के उपनियम (क) में,-

(क) "धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति” शब्दों के पश्चात् “या भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्थ विभाग की अधिकृता संख्या 02/2019 केंद्रीय कर (दर) तारीख 7 मार्च, 2019 जो भारत के राज्य, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 189 पर तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के लाभ का उपभोग करने वाला” शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।
20. उक्त नियम के प्रस्तुत जीएसटी आर्केजी-01 प्रस्तुत की "अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से संलग्न सारणी" क्रमसंख्या 4 के सामने शीर्षक में "बैंक लेखा संबंधित प्रमाण" शब्दों के पश्चात् "जहां ऐसे लेखा के ब्यौरे दिए जाते हैं" शब्द अंतर्भाषित किए जाएंगे।

21. उक्त नियम के प्रस्तुत जीएसटी आर्केजी-07 के, भाग ख में प्रविष्ट 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टिः अंतर्भाषित की जाएगी, अर्थात् :-

"12A. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक रिपोर्ट की जाएगी)

<table>
<thead>
<tr>
<th>बैंक खाता 1 का ब्यौरा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>खाता संख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>खाते का प्रकार</td>
</tr>
<tr>
<td>बैंक का नाम</td>
</tr>
<tr>
<td>शाखा का पता</td>
</tr>
</tbody>
</table>

टिप्पण : और बैंक खाते जोड़े

22. उक्त नियम प्रस्तुत जीएसटी आर्केजी-12 में, भाग ख में 12 प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतर्भाषित की जाएगी, अर्थात् :-

"13. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक रिपोर्ट की जाएगी)
बैंक खाते का व्यःरा 1

| खाता संख्या |  |
| खाते का प्रकार | आईएफएससी |
| बैंक का नाम |  |
| शाखा का पात | स्वत.:पापुलेट्ड (सपादन रीति में) |

टिप्पणि: और बैंक खाते जोड़ें।

23. उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

“प्ररूप जीएसटीआर-4

[नियम 62 देखिए]

संरचना उद्देश्य या अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर (दर) का लाभ उठाने के लिए विकल्प लेने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी

| वर्ष |  |

1. जीएसटीआइएन
2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम <स्वत.>
   (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है <स्वत.>
3. (क) पूर्व के वित्त वर्ष में संकलित आवर्त (स्वत: भर जाएगा)
   (ख) एआरएन <स्वत:>(दाखिल करने के पश्चात)>
   (ग) एआरएन की तारीख <स्वत:>(दाखिल करने के पश्चात)>

4. ऐसे आवक प्रदाय किन्हे अंतर्गत वे प्रदाय भी हैं जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार पर किया जाना है।

| प्रदायकर्ता का | बीजक ब्योरे | दर | करयोग्य मूल्य | कर की रकम | प्रदाय का स्थान |

4. ऐसे आवक प्रदाय किन्हे अंतर्गत वे प्रदाय भी हैं जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार पर किया जाना है।
4क. आवक प्रदाय जो किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायदाता से ग्रहण किया गया है (उन प्रदायों जिन पर प्रतिलोम प्रभार लागू होता है को छोड़कर)

4ख. आवक प्रदाय जो किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायदाता से ग्रहण किया गया है (प्रतिलोम प्रभार लागू होता है)

4ग. आवक प्रदाय जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से ग्रहण किया गया है

4घ. आयात सेवा

5. प्रस्तुत जीएसटी सीएमपी-08 के अनुसार स्वतंत्रित उत्तरदायित्व का संक्षिप्त विवरण

(संशोधन आदि के कारण अनियंत्रित उत्तरदायित्व का संक्षिप्त विवरण)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>विवरण</th>
<th>मूल्य</th>
<th>कर की रकम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>एकीकृत कर</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>जावक प्रदाय (छूट प्राप्त प्रदाय सहित)</td>
<td>&lt;स्वत:&gt;</td>
<td>&lt;स्वत:&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ऐसा आवक प्रदाय जिनके प्रतिलोम प्रभार लागू होता है जिसके अंतर्गत आयात सेवाएं भी हैं।</td>
<td>&lt;स्वत:&gt;</td>
<td>&lt;स्वत:&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>कर संदत्त (1+2)</td>
<td>&lt;स्वत:&gt;</td>
<td>&lt;स्वत:&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>व्याज संदत्त, यदि कोई है</td>
<td>&lt;स्वत:&gt;</td>
<td>&lt;स्वत:&gt;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6. ऐसे जावक प्रदाय/आवक प्रदाय जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है के कर दर वार ब्यारे
(संशोधन आदि के कारण अथिम नेट, प्रत्यय और नामे नोट और अन्य समायोजन)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>प्रदाय का प्रकार (आवक/आवक)</th>
<th>कर की दर(%)</th>
<th>मूल्य</th>
<th>कर की रकम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>एकीकृत कर</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>&lt;स्वतंत्र&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>&lt;स्वतंत्र&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>&lt;स्वतंत्र&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>&lt;स्वतंत्र&gt;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. टीडीएस/टीसीएस प्राप्त

<table>
<thead>
<tr>
<th>कटौतीकरण/ई-वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन</th>
<th>सकल मूल्य</th>
<th>रकम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>केंद्रीय कर</td>
<td>राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. संदेय और संदत कर, व्याज, विलम्ब शुल्क

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. स.</th>
<th>कर का प्रकार</th>
<th>संदेय कर की रकम (सारणी 6 के अनुसार)</th>
<th>पहले से संदत कर रकम (प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08)</th>
<th>संदेय कर की अतिशेष रकम, यदि कोई हो</th>
<th>संदेय व्याज</th>
<th>संदत व्याज</th>
<th>संदेय विलम्ब शुल्क</th>
<th>संदत विलम्ब शुल्क</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
9. इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बढ़ी से दावाकृत प्रतिदाप

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्गण</th>
<th>कर</th>
<th>ब्याज</th>
<th>शास्ति</th>
<th>फीस</th>
<th>अन्य</th>
<th>नाम प्रतिविप्ल वसं.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>(क) एकीकृत कर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) केन्द्रीय कर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) उपकर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>बैंक खाते के व्यापर (ड्रॉप डाउन)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊबर दी गई जानकारी मेरे सर्वत्र सत्य और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकत हस्ताक्षरकार के हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकत हस्ताक्षरकार का नाम

तारीख : पदार्पण/प्रस्थापित
अनुदेश :-

1. प्रयुक्त निवंदनः
   (क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान सं.
   (ख) टीडीएस : सोत पर कर कटौती
   (ग) टीसीएस : सोत पर संग्रहित करे

2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए प्रस्तुत जीएसटीआईएन-4 में व्यूह, ऐसे वित्तीय वर्ष की समापिति के पश्चात् आने वाले अप्रैल के तीनवें दिन तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

3. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए करदार का संकल्पित आवश्यक स्वतंत्रता प्रविष्ट किया जाएगा।

4. समेकित आधार पर आवक प्रदायों, दर-वार, जीएसटीआईएन-वार से सम्बन्धित जानकारी समाविष्ट करने के लिए सारणी 4:
   (i) आवक प्रदायों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से उन आवक प्रदायों, जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4क;
   (ii) ऐसा रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से, जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है, आवक प्रदाय को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4ख;
   (iii) अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्रदायों को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4ग;
   (iv) सेवाओं के आयात को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4घ;

5. ऐसे जावक प्रदायों, (जिनके अन्तर्गत छूट समाविष्ट प्रदाय भी हैं) और ऐसे आवक प्रदायों, जिनके वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत जीएसटी सीएभऩी-08 में पूर्व में यथायोग्य सेवाओं के आयात सहित प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, के व्यूह (और उनके समायोजक) समाविष्ट करने के लिए सारणी 5।

6. कटौतीकर्ता/ई-वाणिज्य प्रचालक से समाविष्ट सोत पर कर कटौती/सोत पर संग्रहित कर प्रत्यय सारणी 7 में स्वतंत्र प्रविष्ट किया जाएगा।

24.उक्त नियमों के प्रस्तुत जीएसटीआईएन-9 में:–

(क) सारणी के क्रम सं. 8 के स्त्रंं 2 की पंक्ति ग में, “सितंबर, 2018 तक” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “2018 माह, से 2019 तक” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) सारणी के भाग 5 के स्त्रंं 2 के शीर्षक में, “चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरण के फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, की विवरणों में घोषित पूर्व
वित्तीय वर्ष" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, “अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक के बीच विवरणों में घोषित वित्तीय वर्ष 2017-18" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ग) अनुदेशों में क्रम सं. 3 का लोप किया जाएगा;

(घ) अनुदेशों के क्रम सं. 4 में, “इस भाग में घोषित” के साथ समाप्त होने वाले वाक्य के पश्चात, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“यह ध्यान दिया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त दायित्व प्रस्त जीएसटीआर-1 में घोषित नहीं किया गया है और प्रस्त जीएसटीआर-3ख इस विवरणों में घोषित किया जाए। तथापि, करदाता इस विवरणों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अदावकृत इनपुट कर प्रत्यय का दावा नहीं कर सकते।”;

(ङ) अनुदेशों के क्रम सं. 5 की सारणी के स्तंभ 2 में:-

(i) क्रम सं. 8क के सामने “उनके प्रस्त जीएसटीआर-1 में सक्षमताओं “ शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात, निम्नलिखित शब्द, अक्षर और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“यह ध्यान दिया जाए कि 1 मई, 2019 तक सूचित प्रस्त जीएसटीआर-2क को सारणी में स्थल: प्रविष्ट किया जाएगा।”;

(ii) क्रम सं. 8ग के सामने, “सितम्बर, 2018 तक” शब्दों के स्थान पर, “2018 से मार्च 2019” तक शब्द रखे जाएंगे;

(च) अनुदेशों के क्रम सं. 7 में:-

(i) “चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर मास या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणों के फाइल किए जाने की तारीख (उदाहरणार्थ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरण में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अप्रैल से सितम्बर, 2018 तक घोषित संचयकारों की घोषणा की जाएगी), जो भी पहले हो” शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) सारणी के स्तंभ 2 में:-

(क) क्रम सं. 10 और क्रम सं. 11 के सामने, “चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणों के फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो” शब्दों के स्थान पर, “2018 से मार्च, 2019 तक” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
(ख) क्रम सं. 12 के साथ, "चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ग) क्रम सं. 13 के साथ, "चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

25. उक्त नियमों में, प्ररूऩ जीएसटी पीएमटी-07 के पश्चात, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित प्ररूऩ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" प्ररूऩ जीएसटी पीएमटी-09

(नियम 87(13 देखिए])

इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही में एक लेखा शीर्ष सं अन्य लेखा शीर्ष में रकम का अंतरण

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>जीएसटीआईएन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>(अ) निविधक नाम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;विवरण&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ब) व्यापार नाम, यदि कोई हो</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;विवरण&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>एआरएन</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>एआरएन की तारीख</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में अंतरित की जाने वाली रकम के व्यवहार

(रकम रूपांतरण)

<table>
<thead>
<tr>
<th>निम्नलिखित से अंतरित की जाने वाली रकम</th>
<th>निम्नलिखित में अंतरित की जाने वाली रकम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>मुख्य शीर्ष</td>
<td>लघु शीर्ष</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>केंद्रीय कर, राज्य/संघ</td>
<td>कर</td>
<td>केंद्रीय कर, राज्य/संघ</td>
<td>कर</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर, उपकर&gt;</td>
<td>ब्याज</td>
<td>राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर, उपकर&gt;</td>
<td>ब्याज</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>शास्ति</td>
<td>राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर, उपकर&gt;</td>
<td>शास्ति</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>फीस</td>
<td>अन्य</td>
<td>फीस</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अन्य</td>
<td>योग</td>
<td>अन्य</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</table>

6. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि इसमें उपर दी गई जानकारी मेरे सर्वाधिक जान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख : पदाधिकार अथवा प्रस्तुति

अनुदेश- 

1. मुख्य शीषा-एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर और उपकर के प्रति निर्देश है।

2. लघु शीषा-कर, ब्याज, शास्ति, फीस और अन्य के प्रति निर्देश है।

3. यदि रकम एक मुख्य/लघु शीषा से किसी अन्य मुख्य/लघु शीषा में अंतरित की जानी आशिष्ट है तो इस प्रस्तूप को भरें। रकम के अंतरण के लिए लघु शीषा वेसा ही या भिन्न हो सकता है।

4. एक लघु शीषा से रकम को उसी मुख्य शीषा के अंधों किसी अन्य लघु शीषा में भी अंतरित किया जा सकता है।
5. शीषक से कोई रकम केवल तभी अंतरित की जा सकती है यदि अंतरण के समय उस शीषक के अधीन अतिशय उपलब्ध है।

26. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी,-

(k) तीसरी लाइन में “सलाह”, शब्द के स्थान पर “आदेश” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) चौथी लाइन में “सलाह”, शब्द के स्थान पर “आदेश” शब्द रखे जाएंगे;
(ग) छठी लाइन में “सेवा में <केन्द्रीय> पीएमो/ खजाना/आरबीआई/बैंक”, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “सेवा में पीएमो, सीबीआईसी” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

27. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10 ख

[नियम95 क देखें]

शुल्क मुक्त दुकानों/शुल्क संदत्त दुकानों (खुदरा केंद्रों) द्वारा प्रतिदिन के लिए आवेदन

1. जीएसटीआइएन:
2. नाम:
3. पता:
4. कर अवधि(मासिक/वैमासिक) से <दिन/मास/वर्ष> तक <दिन/मास/वर्ष>
5. दावाकृत प्रतिदिन की रकम: <आईएनआर> <शब्दों में>
6. प्राप्त मालों के आवक प्रदायों और तत्स्थानी जावक प्रदायों के ब्यारे

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रदायों के व्योरे</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आवक प्रदाय</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रदायकला का जीएसटी आईएस</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>सं/ तारीख</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. जिसके लिए प्रतिदाय आवेदन किया गया है:

<table>
<thead>
<tr>
<th>केन्द्रीय कर</th>
<th>राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर</th>
<th>एकीकृत कर</th>
<th>उप कर</th>
<th>कुल</th>
</tr>
</thead>
</table>

| < कुल > | < कुल > | < कुल > | < कुल > | < कुल > |

8. बैंक खाता के ब्यौरे:

i. बैंक खाता संख्या
ii. बैंक खाता प्रकार
iii. बैंक का नाम
iv. खाता धारक/संचालक का नाम
v. बैंक शाखा का पता
vi. आईएफएससी
vii. एमआईसीआर

9. घोषणा:

मैं __________, __________(शुल्क मुक्त दुकान /शुल्क संदर्भ दुकान-खुदरा केंद्र का नाम) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि,-
(i) इस आवेदन के साथ प्रस्तुत जावक प्रदायों के संबंध में किसी भी बीजकों के प्रति प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है।

(ii) ऊपर दी गई जानकारी मेरे सवोट्स्त मैं सत्य और सही है।

तारीख: प्राथिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:
स्थान: नाम:
पदनाम/प्रस्तिथति

अनुदेश:

1. प्रतिदाय के लिए आवेदन, खुदरा केंद्रों द्वारा विवरणी के प्रस्तुत करने की आवृत्ति की निर्भरता पर मासिक/वैमासिक आधार पर फाइल किया जाएगा।

2. एक आवक प्रदाय बीजक के संबंध में केवल एक बार आवेदन किया जाएगा। इसलिए, यह सलह दी जाती है कि आवक प्रदाय बीजकों के लिए प्रतिदाय का आवेदन केवल उन प्राप्त मालों के बीजकों के विरुद्ध किया जाए जो पूर्ण रूप से प्रदाय किए गए हैं।

3. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा घोषित सभी बीजकों में प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन हो और संबंधित शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) का जीएसटीआईएन उन पर स्पष्ट रूप से चिन्हित हो।

4. प्रतिदाय आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

(क) यह परिचय कि सभी देशी मालों जिन पर प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) द्वारा प्राप्त किया गया है:
(ख) यह परिचय कि देशी माल बाहर जा रहे पात्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को बेचे गए हैं;
(ग) जिस अवधि के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है उसके लिए विवरणी की प्रति।

".

28. उक्त नियम में, प्रस्तुत जीएसटी डीआरसी-03 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तुत रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्रस्तुत जीएसटी डीआरसी-03
[नियम 142(2) और 142 (3)देखें]
स्वैच्छिक रूप से किए गए संदाय की सूचना या कारण बताओं नोटिस (एससीएन) या
विवरण के सापेक्ष किया गया संदाय ।

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>जीएसरीआईएि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>नाम</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>संदाय के हेतुक</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>कारण बताओ नोटिस के ब्योरे, यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर संदाय किया गया है</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>व्याज और शास्ति सहित संदाय के ब्योरे, यदि लागू हो</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>कर</th>
<th>अधिनियम</th>
<th>प्रदायका स्थान</th>
<th>कर/उपकर</th>
<th>व्याज</th>
<th>शास्ति, यदि लागू हो</th>
<th>अन्य</th>
<th>कुल</th>
<th>उपयोग किए गए खाते (नकद/प्रत्यय)</th>
<th>विकलन प्रति सं.</th>
<th>विकलन प्रति की तारीख</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. कारण, यदि कोई हों - <<पाठ>>
9. सत्यापन-
मैं......... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
प्राधिकृत व्यवस्था के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख – ".

[फ.सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में साक.नि. संख्यांक 610 (अ). तारीख 19 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और साक.नि. संख्यांक 321(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा अधिसूचना सं. 20/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए।